

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांक : CEWR/YJ/Esst./00002-7686948

जयपुर, दिनांक : 08.07.2026

आदेश

राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी एवं वृहद् यमुना जल परियोजना से संबंधित कार्यों के सुव्यवस्थित संचालन, आगामी घटकों के लिए प्लानिंग, तखमीना, भूमि अवाप्ति, वन/यमुना नदी भूमि प्रत्यावर्तन एवं वन्य/नदी जीव संबंधित आवश्यक गतिविधियां, आवश्यक उपापन इत्यादि संबंधित कार्यों हेतु यमुना जल प्रकोष्ठ के अधीन निम्न 05 नवीन कार्यालय खोले जाने की सहमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :-

1. यमुना जल प्रकोष्ठ के अधीन 05 नवीन कार्यालय खोले जाने का विवरण निम्नानुसार है :-
 - (i) कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, यमुना जल संभाग, सीकर।
 - (ii) कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, यमुना जल वृत्त, सीकर।
 - (iii) कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, यमुना जल खण्ड-प्रथम, सीकर।
 - (iv) कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, यमुना जल खण्ड द्वितीय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा।
 - (v) कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, यमुना जल यांत्रिक खण्ड कुरुक्षेत्र, हरियाणा।
2. नवसृजित कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, यमुना जल संभाग, सीकर के अधीन पूर्व में सृजित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के 01 पद एवं अधीक्षण अभियन्ता के 01 पद के अतिरिक्त निम्न 11 पदों के नवसृजन की सहमति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं	नवसृजित कार्यालय का नाम	पदनाम	नवसृजित पदों की संख्या	बजट मद
1	2	3	4	5
1	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, यमुना जल संभाग, सीकर	सहायक अभियन्ता (सिविल)	02	2701-80-001-(01)-[01]
2		वरिष्ठ सहायक	01	
3		कनिष्ठ सहायक	02	
4		निजी सहायक ग्रेड-प्रथम	01	
5		वरिष्ठ लेखाधिकारी	01	
6		सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय	01	
7		तहसीलदार	01	
8		पटवारी	01	
9		कनिष्ठ विधि अधिकारी	01	
		कुल	11	
10		होम गार्ड (संविदा सेवाएँ)	02	-

3. नवसृजित कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, यमुना जल वृत्त, सीकर के अधीन निम्न 9 पदों के नवसृजन की सहमति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं	नवसृजित कार्यालय का नाम	पदनाम	नवसृजित पदों की संख्या	बजट मद
1	2	3	4	5
1	अधीक्षण अभियन्ता, यमुना जल वृत्त, सीकर	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	01	2701-80-001-(01)-[02]
		अधिशाषी अभियन्ता (सिविल)	01	
2		सहायक अभियन्ता (सिविल)	01	
3		वरिष्ठ सहायक	01	
4		कनिष्ठ सहायक	02	
5		निजी सहायक ग्रेड-द्वितीय	01	
6		लेखाधिकारी	01	
		कनिष्ठ लेखाकार	01	

		कुल	09	
10		होम गार्ड (संविदा सेवाएँ)	02	—

4. नवसृजित कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, यमुना जल खण्ड—प्रथम सीकर, अधिशाषी अभियन्ता, यमुना जल खण्ड—द्वितीय कुरुक्षेत्र, हरियाणा एवं अधिशाषी अभियन्ता, यमुना जल यांत्रिक खण्ड कुरुक्षेत्र, हरियाणा के अधीन खण्डवार निम्न 24 पदों के नवसृजन की सहमति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं	नवसृजित कार्यालय का नाम	पदनाम	नवसृजित पदों की संख्या	बजट मद
1	2	3	4	5
1	अधिशाषी अभियन्ता, यमुना जल खण्ड—प्रथम सीकर	अधिशाषी अभियन्ता (सिविल)	01	2701-80-001-(01)-[03]
		सहायक अभियन्ता (सिविल)	01	
		कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	02	
		वरिष्ठ सहायक	01	
		कनिष्ठ सहायक	02	
		कनिष्ठ लेखाकार	01	
		योग	08	
		होम गार्ड (संविदा सेवाएँ)	01	
2	अधिशाषी अभियन्ता, यमुना जल खण्ड—द्वितीय कुरुक्षेत्र, हरियाणा	अधिशाषी अभियन्ता (सिविल)	01	2701-80-001-(01)-[03]
		सहायक अभियन्ता (सिविल)	01	
		कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	02	
		वरिष्ठ सहायक	01	
		कनिष्ठ सहायक	02	
		कनिष्ठ लेखाकार	01	
		योग	08	
		होम गार्ड (संविदा सेवाएँ)	01	
3	अधिशाषी अभियन्ता, यमुना जल यांत्रिक खण्ड कुरुक्षेत्र, हरियाणा	अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिक)	01	2701-80-001-(01)-[03]
		सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	01	
		सहायक अभियन्ता विधुत)	01	
		कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक)	01	
		वरिष्ठ सहायक	01	
		कनिष्ठ सहायक	02	
		कनिष्ठ लेखाकार	01	
		योग	08	
होम गार्ड (संविदा सेवाएँ)	01			

- उक्त सहमति के क्रम में नवसृजित पदों को विभागीय कैंडर स्ट्रेन्थ में सम्मिलित करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- जल संसाधन विभाग से भिन्न कैंडर नियंत्रण के पदों के नवसृजन की सहमति से विभाग संबन्धित कैंडर नियंत्रण विभाग को सूचित किया जाना सुनिश्चित करावें।

उक्त आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 172601487 दिनांक 01.07.2026 की अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

आज्ञा से

(राज कुमार निर्वाण)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री, जल संसाधन विभाग एवं जल संसाधन आयोजना विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त विभाग सचिवालय जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान लेखा एवं अधीनस्थ लेखा संवर्ग के पदों को कैडर स्ट्रेन्थ में सम्मिलित करवाने का श्रम करावें।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3), विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान जयपुर (बजट नियंत्रण अधिकारी) को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति संबन्धित कार्यालयों को अपने स्तर से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
6. वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नवसृजित पदों को IFMS पर 07 दिवस में अधतन किया जाना सुनिश्चित करावें।
7. रक्षित पत्रावली

वरिष्ठ शासन उप सचिव